संख्या-82/2016/84/22-2-2016-17(296)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदानन्द सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सदानन्द सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह, ग्राम-सिसैया चुरामनी, थाना-हरदी, जनपद-बहराइच का निवासी है। सम्पत्ति के बटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 20/21-11-1990 को प्रात: लगभग 02:00 बजे गडासा से मारकर अपनी पत्नी एवं सास की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-30/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक 31.03-1994 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 24 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 31 वर्ष 10 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। पुलिस अधीक्षक, बहराइच ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि अभियुक्त का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के पारिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि सम्पत्ति के बटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 20/21-11-1990 को प्रात: लगभग 02:00 बजे गडासा से मारकर अपनी पत्नी एवं सास की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गम्भीरता एवं जघन्यता, असन्तोषजनक जेल आचरण तथा पांच जेलदण्ड से दण्डित होने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सदानन्द सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सदानन्द सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-82/2016/84/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।